



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072022-237324
CG-DL-E-16072022-237324

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]
No. 510]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई 2022

सा.का.नि. 580(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण नियम, 2022 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4 क पूर्णकालिक निदेशकों की सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें – सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों में अवकाश, आचरण संहिता शामिल है, प्रबंध निदेशक एवं उप-प्रबंध निदेशकों के आचरण एवं अनुशासन संबंधी मामलों का निर्धारण, बाजार पद्धति तथा संस्था की आवश्यकता के आधार पर, संस्था के अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा कार्यनिष्पादन को बढ़ाने एवं निष्ठा को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।”

3. उक्त नियम में, नियम 8 के पश्चात निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“9 तुलनपत्र एवं लेखा का प्ररूप और रीति – प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वर्ष के संबंध में लाभ और हानि खाते को इन नियमों की अनुसूची में निर्धारित क्रमशः प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में तैयार किया जाएगा।”

4. उक्त नियमों की अनुसूची में प्ररूप 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्रों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप 2

[नियम 9 देखें]

31 मार्च, की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
(खाते तैयार करने के लिए एएस जीएएपी को अपनाने के दौरान)

	अनुसूचियां	31.03.... की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.... की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
आस्तियां			
वित्तीय आस्तियां			
1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हाथ में नकदी और अतिशेष	I		
2. बैंकों के पास अतिशेष	II		
3. व्युत्पन्न वित्तीय साधन	III		
4. ऋण	IV		
5. विनिधान	V		
6. अन्य वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	VI		
गैर वित्तीय आस्तियां			
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	VII		
2. सद्भावना			
3. अन्य अमूर्त संपत्ति	VIII		
4. वर्तमान कर आस्तियां			
5. आस्थगित कर आस्तियां			
6. अन्य गैर -वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	IX		
कुल आस्तियां			
साधारण शेयर और देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
1. जमा राशियां	X		
2. उधार	XI		
3. ऋण प्रतिभूतियां	XII		
4. व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों			
5. अन्य वित्तीय देनदारियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIII		

गैर वित्तीय देनदारियां			
1. वर्तमान कर देनदारियां			
2. आस्थगित कर देनदारियां			
3. अन्य गैर वित्तीय देनदारियां	XIV		

(उपबंध सहित) विनिर्दिष्ट करने के लिए)			
कुल देनदारियां			
शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूँजी	XV		
(ख) भंडार और अधिअतिशेष	XVI		
कुल			
कुल साधारण शेयर और देनदारियां			
आकस्मिक देनदारियां	XVII		

अनुसूची-1 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध नकद राशि तथा अतिशेष		
	31.03..... की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. उपलब्ध नकद राशि		
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिशेष		
कुल(2+1)		

अनुसूची 2: बैंकों के पास अतिशेष		
	31.03 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. भारत में		
(क) चालू खातों में		
(ख) अन्य जमा खातों में		
2. भारत के बाहर		
चालू खातों में (क)		
अन्य जमा खातों में (ख)		
कुल (2+1)		

अनुसूची 3: व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों						
1. व्युत्पन्न के उपयोग का व्याख्या करें।						
2. व्युत्पन्न से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए वित्तीय जोखिम अनुभाग के लिए प्रति-संदर्भ						
	(वर्तमान वर्ष)			(पूर्व वर्ष)		
भाग I	आनुमानिक रकम	उचित मूल्य- देनदारियां	उचित मूल्य- आस्तियां	आनुमानिक रकम	उचित मूल्य- आस्तियां	उचित मूल्य- देनदारियां
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
हाजिर और वायदा						
मुद्रा वायदे के सौदे						
मुद्रा अदला-बदली						
खरीदे गए विकल्प						

बिक्री विकल्प(लिखित)						
अन्य						
उप-योग(i)						
(ii)ब्याज दर व्युत्पन्न						
वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली						
खरीदे गए विकल्प						
बिक्री विकल्प(लिखित)						
फ्यूचर्स						
अन्य						
उप-योग(ii)						
(iii)ऋण व्युत्पन्न						
(iv)साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न						
(v)अन्य व्युत्पन्न(कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
कुल व्युत्पन्न						
वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)						
भाग II						
बचाव व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त में शामिल (भाग I) व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:						
(i)उचित मूल्य बचाव व्यवस्था:						
-मुद्रा व्युत्पन्न						
-ब्याज दर व्युत्पन्न						
प्रत्यय व्युत्पन्न						
- साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न						
अन्य						
उप-योग(i)						
(ii)नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था:						
-मुद्रा व्युत्पन्न						
-ब्याज दर व्युत्पन्न						
- प्रत्यय व्युत्पन्न						
- साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न						
-अन्य						
उप-योग(ii)						
(iii)निवल विनिधान बचाव व्यवस्था						

(iv)अनामित व्युत्पन्न						
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)						

संस्थान, बचत व्यवस्था और बचत लेखांकन के संबंध में लागू लेखांकन मानकों और संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणों की आवश्यकताओं के अनुसार विवरण प्रदान कर सकता है कि निकाय द्वारा बचत व्यवस्था के लिए व्युत्पन्न का उपयोग, लेखांकन उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त बचत व्यवस्था के प्रकार और इकाई द्वारा उनके उपयोग/अनुप्रयोग की व्याख्या कैसे की जाती है।

अनुसूची 4-ऋण [विशिष्ट प्रावधानों का योग अर्थात् अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान]		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.(क) खरीदे गए बिल और मितिकाटा बिल		
(ख)मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ग)मीयादी ऋण		
(घ)अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
उप-योग(I)		
2.(क) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
(ख)अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
(ग)बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत		
प्रतिभूति रहित		
उप-योग(2)		
3.(क) भारत में ऋण		
(ख)भारत के बाहर ऋण		
उप-योग(3)		
उप-योग(1),(2) और (3) एक दूसरे से मेल खाना चाहिए		

अनुसूची 5: विनिधान [मूल्यहास और अनर्जक विनिधान के लिए उपबंधों का योग]		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.भारत में विनिधान		
(क)केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां		
(ख)बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर		
(ग)बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां		
(घ)म्यूचुअल फंड की इकाइयां और अन्य इकाइयां		
(ङ) अन्य इकाइयों के शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां		

(च)सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के विनिधान		
(छ)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
उप-योग(1)		
2. भारत के बाहर विनिधान		
(क)सरकारी प्रतिभूतियां		
(ख)सहायक,सहयोगी और संयुक्त उद्यम		
(ग)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
उप-योग(2)		
कुल(1+2)		

अनुसूची 6-अन्य वित्तीय आस्तियां		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.प्राप्य राशि		
2.बीमा दावे से संबंधित प्राप्य राशि		
3.अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
कुल		

अनुसूची 7-संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर (मूल्यहास का योग)		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.संपत्ति		
(क)पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर		
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) आज तक मूल्यहास		
2.संयंत्र और उपस्कर		
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर		
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) आज तक मूल्यहास		
3.अन्य निर्धारित आस्तियां		
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर		
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) आज तक मूल्यहास		
कुल (1+2+3)		

अनुसूची 8-अन्य अमूर्त आस्तियां		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.अन्य अमूर्त आस्तियां(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) आज तक मूल्यहास		
कुल		

अनुसूची 9-अन्य गैर वित्तीय आस्तियां		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर के उपापन के लिए दिए गए अग्रिम		
2.पूर्वसंदत्त व्यय		
3.अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
कुल		

अनुसूची 10-जमा		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.बैंकों से		
2.अन्य से(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
कुल(1+2+3)		

अनुसूची 11-उधार		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.भारत में उधार		
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक से		
(ख) भारत सरकार से		
(ग) बैंकों से मीयादी ऋण		
(घ) मीयादी मुद्रा उधार		
(ङ) अन्य से किया विनिर्दिष्ट) (जाएगा)		
उप-योग(1)		
2. भारत के बाहर उधार		
(क)बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठन(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		

(ख)अन्य विकास वित्तीय संस्थाएं(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
उप-योग(2)		
कुल(1+2)		

अनुसूची 12-ऋण प्रतिभूतियां*		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. भारत में जारी ऋण प्रतिभूतियां		
(क) बॉण्ड और डिबेंचर		
(ख) वाणिज्यिक पेपर		
(ग) जमा राशि का प्रमाणपत्र		
(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
उप-योग(1)		
2.भारत के बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां		
(क) बॉण्ड और डिबेंचर		
(ख) अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
उप-योग (2)		
कुल (1+2)		

*भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ऋण प्रतिभूतियों को इस अनुसूची के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुसूची 13-अन्य वित्तीय देनदारियां		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. प्रोदभूत व्याज		
2. असंदत्त लाभांश		
3. असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोदभूत व्याज		
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
कुल		

अनुसूची 14-अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां (उपबंधों सहित)		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. अग्रिम में प्राप्त राजस्व		
2. उपबंध		
3. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		

कुल		
-----	--	--

अनुसूची 15-अन्य वित्तीय देनदारियां		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.प्राधिकृत पूंजी		
(क) साधारण शेयर पूंजी		
2.जारी,अभिदत्त और चुकता पूंजी		
(क) साधारण शेयर पूंजी		
कुल शेयर पूंजी		

अनुसूची 16-आरक्षित और अधिअतिशेष		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1.आरक्षित निधि (राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अंतर्गत सृजित)		
(क)प्रारंभिक अतिशेष		
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग		
(घ)अंतिम अतिशेष		
2.आरक्षित पूंजी		
(क)प्रारंभिक अतिशेष		
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग		
(घ)अंतिम अतिशेष		
3.आरक्षित विनिधान		
(क)प्रारंभिक अतिशेष		
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग		
(घ)अंतिम अतिशेष		
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन निर्मित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष		
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग		
(घ)अंतिम अतिशेष		

अनुसूची 16-आरक्षित और अधिअतिशेष		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
5.पुनर्मूल्यन आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग		
(घ)अंतिम अतिशेष		
6.सामान्य आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग		
(घ)अंतिम अतिशेष		
7. लाभ और हानि खाते के विवरण में अतिशेष		
(क)प्रारंभिक अतिशेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग		
(घ)अंतिम अतिशेष		
8.अन्य विशेष आरक्षित (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
(क)प्रारंभिक अतिशेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग		
(घ)अंतिम अतिशेष		
कुल आरक्षित और अधिशेष		

अनुसूची 17-आकस्मिक देयताएं		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. संस्था के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
2. प्रत्याभूतियों/प्रत्यय पत्रों के लेखे		
3.अग्रिम संविदाओं के लेखे		
4.हामीदारी प्रतिबद्धता के लेखे		
5. आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर पर अनावश्यक धन के लेखे		
6. अन्य मदें जिनके लिए संस्था आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (विनिर्दिष्ट की जाए)		
कुल		

प्रारूप 3

[नियम 9 देखें]

(खातों को तैयार करने के लिए एएस जीएएपी को अपनाते समय)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

	अनुसूची	31.03की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
आय			
ब्याज और बट्टा	18		
शुल्क और कमीशन आय			
विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ(हानि)/	19		
अन्य आय	20		
कुल आय			
व्यय			
वित्तीय लागत	21		
शुल्क और कमीशन आय			
वित्तीय आस्तियों पर उपबंध	22		
कर्मचारी लाभ	23		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यहास और हानि			
अमूर्त संपत्ति का क्रमिक अपाकरण और हानि			
अन्य व्यय			
कुल व्यय			
करों और असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/ (हानि)			
असाधारण मद			
करों से पूर्व शुद्ध लाभ(हानि)/			
कर व्यय			
(i)वर्तमान कर			
(ii)आस्थगित कर			
अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)			
विनियोजन			
(क) सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण			
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित में स्थानांतरण			
(ग) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक			

अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अधीन आरक्षित में स्थानांतरण			
(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट की जाए)			
(ङ) लाभ और हानि खाते में अधिअतिशेष को अग्रेषित किया गया			
प्रति शेयर आय			
(क) आधार			
(ख) मंदित			

अनुसूची 18-ब्याज और बट्टा		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. ऋण और अग्रिम पर ब्याज और बट्टा आय		
2. विनिधान पर ब्याज और बट्टा आय		
3. बैंकों से देय और अतिशेष राशि पर ब्याज		
4. अन्य ब्याज आय (निर्दिष्ट किया जाना है)		
कुल		

अनुसूची 19- विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. कम विनिधान की बिक्री पर लाभ: विनिधान की बिक्री पर हानि		
कुल		

अनुसूची 20-अन्य आय		
	31.03.....की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.....की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. अग्रिम और प्रसंस्करण शुल्क		
2. विनिधान पर लाभांश के रूप में अर्जित आय		
3. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय		
4. विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) (वित्त लागत के अतिरिक्त)		
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
कुल		

अनुसूची 21-वित्त लागत		
	31.03.... की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.... की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. निक्षेप पर व्याज		
2. उधार पर व्याज		
3. ऋण प्रतिभूतियों पर व्याज		
4. अन्य व्याज खर्च (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		

अनुसूची 22- वित्तीय आस्तियों पर प्रावधान		
	31.03.... की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.... की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. अनर्जक आस्तियों के लिए उपबंध		
2. मानक ऋण के लिए उपबंध		
3. लंबी अवधि के विनिधान के मूल्य में कमी के उपबंध		
4. अन्य वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/उल्टाव		
कुल		

अनुसूची 23: कर्मचारी लाभ		
	31.03.... की स्थिति के अनुसार वर्तमान) (वर्ष)	31.03.... की स्थिति के अनुसार पूर्व) (वर्ष)
1. बोनस सहित वेतन और मजदूरी		
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान		
3. कर्मचारी कल्याण व्यय		
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
कुल		

अनुसूची 24: अन्य खर्चे		
	31.03.... की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.... की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. किराया, दरें और कर		
2. बिजली और अन्य सुविधाएं		
3. प्रिंटिंग और स्टेशनरी		
4. संचार लागत		
5. विज्ञापन और प्रचार		
6. निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे		
7. लेखापरीक्षक की फीस और व्यय		
8. कानूनी और पेशेवर शुल्क		
9. मरम्मत और रखरखाव		
10. बीमा		

11. अन्य व्यय*		
कुल		

* 'अन्य व्यय' उप-शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो, को अलग से दर्शाया जाना है।

अनुसूची 23: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

अनुसूची 24: लेखा टिप्पणी

तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि खाते को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश:

क. इस अनुसूची में (क) वर्ष के अंत में तुलन-पत्र, (ख) उक्त अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण तथा (ग) अनुसूचियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए इसे 'वित्तीय विवरण' कहा जाएगा), के प्रकटीकरण के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है।

ख. समनुरूप मदों, सह-समनुरूप मदों तथा उप-योग को प्रयोज्य विधि, नियमों, विनियम, लेखा मानकों तथा समय-समय पर जारी प्रयोज्य मार्गदर्शक टिप्पणियों के अनुरूप जब कभी अपेक्षित हो, वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त/वैकल्पिक सूचना के रूप में दर्शाया जाएगा।

ग. जहां विधि, नियम, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश में की गई अपेक्षाओं अथवा प्रयोज्य लेखा मानक अतिरिक्त संशोधन, शीर्ष/उप-शीर्ष का प्रतिस्थापन अथवा विलोपन, वित्तीय विवरणों में कोई पारस्परिक परिवर्तन का अनुपालन किया जाएगा और तदनुसार इस अनुसूची की अपेक्षाओं को संशोधित किया जाएगा।

घ. इस अनुसूची के प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में विनिर्दिष्ट प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण अपेक्षाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अथवा प्रयोज्य लेखा मानकों एवं समय-समय पर जारी प्रयोज्य दिशानिर्देशक टिप्पणी में उल्लिखित प्रकटीकरण अथवा प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त हैं न कि उनके स्थान पर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक लेखा टिप्पण, लेखा सहित वित्तीय विवरण के किसी घटक के लिए प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में दी गई सूचना के अतिरिक्त होगी।

ड. लेखा टिप्पणी में वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना के अतिरिक्त अन्य सूचना दी जाएगी और यह जहां अपेक्षित हो (क) उन विवरणों में अभिचिह्नित मदों का विस्तृत विवरण अथवा अलग-अलग विवरण और (ख) इन विवरणों में अभिचिह्नित किए जाने हेतु अनअर्हक मदों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।

च. वित्तीय विवरणों में प्रत्येक मद को लेखा टिप्पणी में किसी भी संबद्ध सूचना से परस्पर संदर्भित किया जाएगा। लेखा टिप्पणी सहित वित्तीय विवरण तैयार करने में विस्तृत ब्यौरे जो वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता के लिए उपयोगी न हो और अत्यधिक समेकन के कारण इससे महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध न हो रही हो, के बीच एक संतुलन बनाया जाएगा।

छ. वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की माप इकाई भारतीय रूपया करोड़ में होगी। माप इकाई का प्रयोग पूरे वित्तीय विवरण और लेखा टिप्पणी में निरंतर एवं एक समान किया जाएगा।

ज. वित्तीय विवरण में सभी भौतिक मदें अर्थात् वैसी मदें जिससे आर्थिक निर्णय अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से प्रभावित हो और जिसे प्रयोक्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार करता हो, को प्रकट किया जाएगा। इसका महत्व मद के आकार और स्वरूप पर निर्भर करता है जिसके संबंध में विअतिशेष परिस्थिति में निर्णय लिए जाते हैं।

झ. इस अनुसूची के प्रयोजन हेतु इसमें प्रयुक्त शब्दों का वही अर्थ होगा जो लेखा मानक तथा समय-समय पर जारी प्रयोज्य दिशानिर्देशक टिप्पणी में विनिर्दिष्ट हो।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

1. जहां संस्था को समेकित वित्तीय विवरण अर्थात् समेकित तुलन-पत्र और लाभ और हानि का समेकित विवरण तैयार करना अपेक्षित हो, संस्था यथापेक्षित परिवर्तनों सहित तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि विवरण तैयार करने में संस्था के लिए प्रयोज्य इस अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुसरण करेगी। तथापि, जहां समेकित वित्तीय विवरण में संस्था से संबंधित तथा संस्था से इतर मद शामिल हों, समेकित वित्तीय विवरण, जिसमें दोनों प्रकार के परिचालन महत्वपूर्ण हों, के प्रस्तुतीकरण के लिए मिश्रित आधार का अनुसरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, समेकित वित्तीय विवरण में प्रयोज्य लेखा मानक में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सूचना को प्रकट किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) "अल्पमत हित" के कारण लाभ और हानि में एवं मूल संस्था के स्वामी के कारण हुए लाभ अथवा हानि को उक्त अवधि के आवंटन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) साधारण शेयर के अंतर्गत तुलन-पत्र में "अल्पमत हित" को मूल संस्था के स्वामी की साधारण शेयर से पृथक प्रस्तुत किया जाएगा।

2. समेकित वित्तीय विवरण में अतिरिक्त सूचना के द्वारा निम्नलिखित का प्रकटीकरण किया जाएगा:-

संस्था का नाम	निवल आस्ति अर्थात् कुल देयता को कम करने के पश्चात् कुल आस्ति		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित निवल आस्ति की प्रतिशतता के रूप में	रकम	समेकित लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता के रूप में	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मूल भारतीय सहायक कंपनियां				
1.				
2.				
.				
विदेशी				
1.				
2.				
.				
सभी सहायक संघों में अल्पमत हित (साधारण शेयर पद्धति के अनुसार विनिधान)				
1.				
2.				
.				
विदेशी				
1.				
2.				
.				
संयुक्त उपक्रम 'अनुपातिक समेकन' साधारण शेयर पद्धति के अनुसार विनिधान				
भारतीय				

1.				
2.				
.				
विदेशी				
1.				
2.				
.				
कुल				

3. समेकित वित्तीय विवरण के अधीन सभी सहायक कंपनियों, संघों तथा संयुक्त उपक्रमों (चाहे वह भारतीय हो या विदेशी) को शामिल किया जाएगा।

4. इकाई, समेकित वित्तीय विवरण में शामिल न की गई सहायक कंपनियों अथवा संघों अथवा संयुक्त उपक्रमों की सूची को प्रकट करेगी और इन्हें शामिल न करने के कारणों को भी दर्शाएगी।

प्ररूप 2

[देखें नियम 9]

तुलन पत्र 31 मार्च, तक
(खातों को तैयार करने के लिए इंड-एएस को अपनाते समय)

(रुपये में)

	विशिष्टियां	टिप्पणी संख्या	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक के आंकड़े।	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक के आंकड़े।
	(1)		(2)	(3)
	आस्तियां			
(1)	वित्तीय आस्तियां			
(क)	नकद तथा नकदी समतुल्य			
(ख)	उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंकों में अतिशेष			
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय उपस्कर			
(घ)	प्राप्तियों			
(ङ.)	ऋण			
(च)	विनिधान			
(छ)	अन्य वित्तीय आस्तियां (निर्दिष्ट की जाएं)			
(2)	गैर वित्तीय आस्तियां			
(क)	विद्यमान कर आस्तियां (शुद्ध)			
(ख)	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			
(ग)	सम्पत्ति, संयंत्र तथा लिखत			
(घ)	साख			

(ड.)	अन्य अमूर्त संपत्ति			
(च)	अन्य गैर-वित्तीय संपत्ति (विनिर्दिष्ट की जाएं)			
	कुल आस्तियाँ			
	देनदारियां तथा साधारण शेयर			
	देनदारियां			
(1)	वित्तीय देनदारियां			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत			
(ख)	देय			
(ग)	ऋण प्रतिभूतियों			
(घ)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)			
(ड.)	जमा			
(च)	अधीनस्थ देनदारियां			
(छ)	अन्य वित्तीय देनदारियां (निर्दिष्ट की जाएं)			
2.	गैर-वित्तीय देनदारियां			
(क)	वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)			
(ख)	उपबंध			
(ग)	आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)			
(घ)	अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां (निर्दिष्ट की जाएं)			
3.	साधारण शेयर			
(क)	साधारण शेयर पूंजी			
(ख)	अन्य साधारण शेयर			
	कुल देनदारियां और साधारण शेयर			

वित्तीय विवरण के लिए संलग्न टिप्पण देखें

साधारण शेयर के परिवर्तनों का विवरण

.....को समाप्त अवधि के लिए साधारण शेयर में परिवर्तन का विवरण

क. साधारण शेयर शेयर पूंजी

(1) चालू रिपोर्टिंग अवधि

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर अतिशेष	साधारण शेयर पूंजी में परिवर्तन के कारण पूर्व अवधि त्रुटियां	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर पुनर्निर्धारित अतिशेष	चालू वर्ष के दौरान साधारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर अतिशेष

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर अतिशेष	साधारण शेयर पूंजी में परिवर्तन के कारण पिछली अवधि त्रुटियां	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर पुनर्निर्धारित अतिशेष	चालू वर्ष के दौरान साधारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर अतिशेष

(1) चालू रिपोर्टिंग अवधि

[illegible]

[illegible]

अतिशेष															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

टिप्पण: परिभाषित लाभ योजनाओं तथा लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट वित्तीय दायित्वों के अपने क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान विद्यमान आय के रूप में की जाएगी साथ ही सुसंगत राशि सहित ऐसी मदों को टिप्पण में अलग से प्रकट किया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित एवं अतिरिक्त के अधीन अलग स्तंभ में दर्शाया जाएगा।

टिप्पण:

तुलन-पत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) लेखा टिप्पण में निम्नलिखित को प्रकट करेगा:

(क) नकद तथा नकद के समतुल्य: नकद तथा नकद के समतुल्य को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

- उपलब्ध नकद राशि
- भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष (नकद तथा नकद के समतुल्य स्वरूप का)
- बैंकों में अतिशेष (नकद तथा नकद के समतुल्य स्वरूप का)
- अन्य (स्वरूप स्पष्ट करें)

नकद तथा बैंक में जमा राशि: नकद तथा बैंक जमा राशि के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा:

- बैंकों में निर्धारित जमा राशि (उदाहरण स्वरूप अदत्त लाभांश के लिए) को अलग से दर्शाया जाएगा।
- मार्जिन धनराशि अथवा उधार के प्रति प्रतिभूति, गारंटी तथा अन्य प्रतिबद्धताओं की सीमा तक बैंक जमा राशि को अलग से दर्शाया जाएगा।
- नकद तथा बैंक जमा राशि के संबंध में प्रत्यावर्तन प्रतिबंध, यदि कोई हो, को अलग से दर्शाया जाएगा।
- भारत तथा भारत से बाहर चालू खाते तथा अन्य जमा राशि के रूप में बैंक जमा राशि को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(ख) व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

1. व्युत्पन्न को प्रयोग का उल्लेख

2. व्युत्पन्न से उत्पन्न जोखिम के प्रबंधन के लिए वित्तीय जोखिम धारा के लिए प्रति निर्देश

खंड /	(चालू वर्ष)			(पूर्व वर्ष)		
	आनुमानिक राशि	उचित मूल्य आस्ति	उचित मूल्य - देनदारियां	आनुमानिक राशि	उचित मूल्य आस्ति	उचित मूल्य - देनदारियां
(मुद्रा व्युत्पन्न :						
- हाजिर और वायदा						
- मुद्रा वायदे के सौदे						
- मुद्रा अदला-बदली						
- विकल्प खरीद						
- विकल्प बिक्री (लिखत)						
- अन्य						
उप-योग (i)						
(ii) व्याज दर व्युत्पन्न						
- वायदा दर समझौते और व्याज दर अदला-बदली						
- विकल्प						

खरीद						
- विकल्प बिक्री (लिखत)						
- फ्यूचर्स						
- अन्य						
उप-योग (ii)						
(iii) क्रेडिट व्युत्पन्न						
(iv) साधारण शेयर लिंकड व्युत्पन्न						
(v) अन्य व्युत्पन्न (कृपया निर्दिष्ट करें)						
कुल व्युत्पन्न						
वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+ (v)						
भाग II						
ऊपर में सम्मिलित (भाग I) हैं						
बचाव व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित व्युत्पन्न: इस प्रकार है:						
(i) उचित मूल्य बचाव व्यवस्था:						
- मुद्रा व्युत्पन्न						
- ब्याज दर व्युत्पन्न						
- ऋण व्युत्पन्न						
- साधारण शेयर लिंकड व्युत्पन्न						
- अन्य						
उप-योग (i)						
(ii) नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था:						
- मुद्रा व्युत्पन्न						
- ब्याज दर व्युत्पन्न						
- ऋण व्युत्पन्न						
- साधारण शेयर लिंकड व्युत्पन्न						

- अन्य						
उप-योग (ii)						
(iii) शुद्ध विनिधान बचाव व्यवस्था:						
(iv) गैर-वनिर्दिष्ट व्युत्पन्न						
कुल व्युत्पन्न वित्तीय						
लिखत (i)+ (ii)+(iii)+(iv)						

बचाव करने और लेखा बचाव संबंधी लेखांकन के संबंध में संस्था भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण उपलब्ध कराएगी कि बचाव करने के लिए कितने व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है, लेखा प्रयोजन के लिए अभिचिह्नित बचाव करने के उपायों का स्वरूप तथा संस्था द्वारा उनका प्रयोग/अनुप्रयोग।

(ग) प्राप्यः

(i) प्राप्य को निम्नलिखित उपवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा:

- (क) वस्तु के रूप में प्राप्य – प्रतिभूत;
(ख) वस्तु के रूप में प्राप्य – अप्रतिभूत;
(ग) प्राप्य जिससे क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई हो; और
(घ) प्राप्य – क्रेडिट क्षीण

(ii) असमर्थता क्षति भत्ता संबंधी भत्ता को संगत शीर्ष के अधीन अलग से दर्शाया जाएगा।

(iii) संस्था के निदेशक तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा देय ऋण या फर्म द्वारा इनमें से किसी अधिकारी का अक्सर या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति का साझा देय ऋण जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), निजी कंपनियां सम्मिलित हैं, जिसमें कोई निदेशक भागीदार हो अथवा निदेशक या सदस्य को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(घ) उधार

[illegible]

[illegible]

(ड.) विनिधान

[illegible]

निधि और अन्य स्कीमें														
सरकारी प्रतिभूतियां														
अन्य स्वीकृत प्रतिभूति														
ऋण प्रतिभूतियों														
हिस्सेदारी लिखत														
सहायक कंपनियां														
एसोसिएट्स														
संयुक्त उपक्रम														
अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)														
कुल - कुल (क)														
(I) विनिधान बाहर से भारत														
(ii) विनिधान भारत में														
कुल (ख)														
कुल (क) गणना के साथ (ख)														
कम: भत्ता के लिये हानि (ग)														
कुल योग घ = (क-ग)														

* अन्य आधार माप का ऐसा जैसा लागत मई होना व्याख्या की के रूप में पाद टिप्पण।

(च) संपत्ति, स्कीम तथा लिखत

(i) वर्गीकरण इस प्रकार होगा :

(a) भूमि

- (b) इमारतें
- (c) स्कीम तथा लिखत
- (d) फर्नीचर तथा फिक्स्चर
- (e) वाहन
- (f) कार्यालय उपस्कर
- (g) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) पट्टे के अधीन परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के अधीन अलग से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iii) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और निवल वहन राशि का समाधान परिवर्धन, निपटान, व्यावसायिक संयोजनों के माध्यम से अधिग्रहण और संबंधित मूल्यहास और हानि या प्रतिवर्ती संपत्ति को, और अन्य समायोजनों को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(छ) सद्भावना

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में सद्भावना की सकल और निवल राशि का समाधान परिवर्धन, हानि, निपटान और अन्य समायोजन दर्शाते हुए।

(ज) अन्य अमूर्त संपत्ति

(i) वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाएगा:

(क) ब्रांड या ट्रेडमार्क

(ख) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर

(ग) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ii) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और निवल वहन राशि का समाधान, व्यावसायिक संयोजनों और अन्य समायोजनों के माध्यम से परिवर्धन, निपटान, अधिग्रहण और संबंधित परिशोधन और हानि हानि या रिवर्सल को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(झ) ऋण प्रतिभूतियां

	(वर्तमान वर्ष)				(पूर्व वर्ष)			
	परिशोधित लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहीत	कुल	परिशोधित लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहीत	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+ (3)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5)+(6)+(7)
चक्रवृद्धि वित्तीय का देयता घटक								
साधन								

अन्य (बांड / ऋण पत्र / वाणिज्यिक दस्तावेज / जमा प्रमाण पत्र आदि)								
कुल (क)								
भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ								
भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ								
(क) के साथ मिलान करने के लिए कुल (ख)								

(i) बांड या डिबेंचर (ब्याज की दर के साथ, और मोचन या रूपांतरण का ब्यौरा, जैसा भी मामला हो) को परिपक्वता या रूपांतरण के आरोही क्रम में उल्लेख किया जाएगा, जो कि शीघ्रताशीघ्र मोचन या रूपांतरण तिथि से शुरू होता है, जो भी मामला हो । जहां बांड / डिबेंचर किस्तों द्वारा भुनाए जा सकते हैं, इस उद्देश्य के लिए परिपक्वता की तारीख को उस तारीख के रूप में गिना जाना चाहिए जिस पर पहली किस्त देय हो जाती है;

(ii) किसी भी मोचित बांड या डिबेंचर के विवरण, जिन्हें संस्थान के पास पुनः जारी करने की शक्ति है, को प्रकट किया जाएगा।

(ज) उधार प्रतिभूतियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)

	(वर्तमान वर्ष)				(पूर्व वर्ष)			
	परिशोधित लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहीत	कुल	परिशोधित लागत पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहीत	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
(क) सावधि ऋण								
(i) बैंकों से								
(ii) अन्य पक्षकारों से								
(ख) मिश्रित वित्तीय लिखतों का देयता घटक								
(ग) मांग पर प्रतिसंवेद्य ऋण								
(i) बैंकों से								
(ii) अन्य पक्षकारों से								

(घ) अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)								
कुल (क)								
भारत में ऋण - भारतीय रिज़र्व बैंक से - भारत सरकार से - अन्य से								
भारत के बाहर ऋण - बहुपक्षीय / द्विपक्षीय संगठनों द्वारा (विनिर्दिष्ट किए जाने को)								
- अन्य विकास वित्तीय संस्थानों द्वारा (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)								
(क) के साथ मिलान करने के लिए कुल (ख)								

(i) उधार लेना प्रतिभूत और अप्रतिभूत के रूप उप-वर्गीकृत किया जाएगा। प्रतिभूति की प्रकृति प्रत्येक मामले में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(ii) जहां उधार लेना निदेशकों या अन्य के द्वारा प्रत्याभूत किया गया है, प्रत्येक शीर्ष के अधीन ऐसे उधार की संकलित रकम प्रकट की जाएगी;

(iii) सावधि ऋणों और अन्य ऋणों के प्रतिसंदाय निबंधनों को कथित किया जाएगा; और

(iv) उधार और ब्याज के प्रतिसंदाय में तुलन पत्र की तारीख के रूप में व्यतिक्रम की अवधि और रकम प्रत्येक मामले में पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(ट) निक्षेप

	(वर्तमान वर्ष)((किय)				(पूर्व वर्ष)			
	परिशोधित लागत पर	लाभ हानि माध्यम उचित पर	या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहीत	कुल	परिशोधित लागत पर	लाभ हानि माध्यम उचित मूल्य पर	या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहीत	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
निक्षेप								
(i) बैंकों से								

(ii) अन्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)								
कुल								

(ठ) गौण देयताएँ

	(वर्तमान वर्ष)				(पूर्व वर्ष)			
	परिशोधित लागत पर	लाभ हानि माध्यम उचित मूल्य पर	या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य अभिहीत	कुल	परिशोधित लागत पर	लाभ हानि माध्यम उचित मूल्य पर	या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य अभिहीत	कुल
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
स्थायी ऋण लिखत उस विस्तार तक जो साधारण शेयर के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं								
अन्य (जारी किए गए लिखत की प्रकृति और प्रकार को विनिर्दिष्ट करना))								
कुल (क)								
भारत में गौण देयताएं								
भारत के बाहर गौण देयताएं								
(क) के साथ मिलान करने के लिए कुल (ख)								

(ड) अन्य वित्तीय देयताएं (विनिर्दिष्ट किया जाएगा): अन्य वित्तीय देयताएं इस प्रकार वर्गीकृत की जाएंगी -

- प्रोदभूत ब्याज;
- असंदत्त लाभांश;
- प्रतिदेय प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन धन और उस पर प्रोदभूत ब्याज;
- असंदत्त परिपक्व सावधि असंदत्त और उस पर प्रोदभूत ब्याज;
- असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उन पर प्रोदभूत ब्याज;
- मार्जिन धन (विनिर्दिष्ट किया जाएगा); और

(g) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ढ) उपबंध : रकमों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा -

(क) कर्मचारी के फायदे के लिए उपबंध; और

(च) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ण) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं (विनिर्दिष्ट की जाएंगी):

(क) अग्रिम में प्राप्त राजस्व;

(ख) अन्य अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें); और

(छ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(त) साधारण शेयर पूंजी: साधारण शेयर पूंजी के प्रत्येक वर्ग के लिए:

(क) प्राधिकृत शेयरों की संख्या और रकम;

(ख) पुरोद्युत अभिदत्त और पूर्ण रूप से संदत्त, और अभिदत्त किंतु पूर्ण रूप से संदत्त नहीं शेयरों की संख्या;

(ग) प्रति शेयर सममूल्य;

(घ) अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान;

(ड) लाभांश के वितरण और पूंजी के प्रतिसंदाय पर निबंधनों सहित शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकारों, प्राथमिकताओं और प्रतिबद्ध करना;

(च) केंद्रीय सरकार, बहुपक्षीय संस्था, संप्रभु धन निधि, पेंशन फंड, बीमाकर्ता, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और किसी भी अन्य संस्थान द्वारा आयोजित संस्थान में शेयरों विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

(छ) निबंधनों और रकमों सहित शेयरों के विक्रय या अपविनिधान के लिए विकल्पों और अनुबंधों/प्रतिबद्धताओं के अधीन जारी करने के लिए आरक्षित शेयर;

(ज) जिस तारीख पर तुलनपत्र तैयार किया गया है, से ठीक पहले अपवाद पांच वर्षों की अवधि के लिए:

• संकलित संख्या और वापस खरीदे गए शेयरों का वर्ग •

(झ) साधारण शेयरों में संपरिवर्तनीय किसी भी प्रतिभूतियों के निबंधन, अवरोही क्रम में संपरिवर्तन की पूर्वतम तारीख के साथ जारी किए गए, जो ऐसी दूरतम तारीख से प्रारंभ होती है;

(ण) संस्थान ऐसी जानकारी को प्रकट करेगा जो अपने वित्तीय विवरणों के उपयोक्ताओं को पूंजी के प्रबंधन के लिए अपने उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है।

(थ) अन्य साधारण शेयर

(i) अन्य आरक्षित को टिप्पण में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) पूंजी मोचन आरक्षित;

(ख) डिवेंचर मोचन आरक्षित;

(ग) कानूनी आरक्षित;

(घ) अन्य - (प्रत्येक आरक्षित की प्रकृति और प्रयोजन और उसके बाबत रकम विनिर्दिष्ट करें); (अंतिम तुलन पत्र के बाद से परिवर्धन और कटौती को प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्षों के अधीन दिखाया जाना है)

(ii) प्रतिधारित उपार्जन अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती है अर्थात् साधारण शेयर में परिवर्तन के विवरण में सुसंगत स्तंभ की अतिशेष;

(iii) एक आरक्षित का विशेष रूप से निर्धारित विनिधान द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, इस तथ्य को प्रकट करेगा कि यह इस तरह का प्रतिनिधित्व करता है;

(iv) लाभ और हानि के विवरण के ऋण अतिशेष को 'प्रतिधारित उपार्जन' शीर्षक के अधीन एक ऋणात्मक आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार, 'अन्य साधारण शेयर' का अतिशेष, प्रतिधारित उपार्जन के ऋणात्मक संतुलन को समायोजित करने के पश्चात्, यदि कोई हो, को 'अन्य साधारण शेयर' शीर्षक के अधीन दिखाया जाएगा, भले ही परिणामी आंकड़े ऋणात्मक हों;

(v) उप-शीर्ष 'अन्य साधारण शेयर' के अधीन, प्रत्येक मद की प्रकृति और रकम के लिए प्रकटीकरण किया जाएगा; और

(vi) उप-शीर्ष 'अन्य साधारण शेयर' के अधीन, कानूनी आरक्षित वितरण के लिए शर्तों या निबंधनों के लिए प्रकटीकरण किया जाएगा।

(द) समाश्रित देयताओं और प्रतिबद्धताओं (उस सीमा तक उपबंधित न की गई)

(i) समाश्रित देयताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) संस्था के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया;

(ख) वित्तीय प्रत्याभूति/प्रत्यय के पत्र की अपवर्जक प्रत्याभूति; और

(ग) अन्य रकम जिसके लिए संस्था समाश्रित रूप से उत्तरदायी है

(ii) प्रतिबद्धताओं को इस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) आंशिक रूप से संदत्त किए गए शेयरों और अन्य विनिधानों पर अनाहृत देयता;

(ख) हामीदारी प्रतिबद्धताएं;

(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ध) उक्त अवधि के लिए साधारण शेयरधारक को संवितरित किए जाने हेतु प्रस्तावित लाभांश की रकम तथा संबंधित प्रति शेयर रकम को पृथक रूप से प्रकटित किया जाएगा।

(न) साधारण अनुदेश से संबंधित अन्य वर्गीकरण

1. जब कोई संस्था भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुसरण में भूतलक्षी प्रभाव से किसी लेखांकन नीति को लागू करती है या वित्तीय विवरण में मदों के संबंध में पुनःविवरण प्रस्तुत करती है या जब मदों को वित्तीय विवरण में पुनः वर्गीकृत करती है तो संस्था यथासंभव आरंभिक तुलनात्मक अवधि के लिए प्रस्तुत "तुलन-पत्र" के रूप में तुलन-पत्र संलग्न करेगी।

2. पुरोदृत पर प्राप्त प्रीमियम सहित अधिमानी शेयरों को वर्गीकृत किया जाएगा तथा उसे सुसंगत भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण शेयर अथवा देयता के रूप में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार इस संबंध में प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतीकरण अपेक्षाएं जो साधारण शेयर अथवा देयता के सुसंगत वर्ग के लिए प्रयोज्य हो, वह अधिमानी शेयरों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य होंगी। उदाहरणस्वरूप प्लेन वनिला मोचनीय अधिमानी शेयरों को देयता के अधीन उधार अथवा गौण देयता के रूप में वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा तथा इस संबंध में ऐसे उधारों के लिए प्रयोज्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं यथावश्यक परिवर्तन सहित मोचनीय अधिमानी शेयरों के लिए भी प्रयोज्य होंगी।

3. संयुक्त वित्तीय लिखत जैसे संपरिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें सुसंगत भारतीय लेखामानकों की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण शेयर तथा देयता संघटनों में विभाजन को देयता तथा साधारण शेयर के अधीन सुसंगत शीर्ष में वर्गीकृत तथा प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररूप 3

[नियम 9 देखें]

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण

(लेखा तैयार करते समय इंड-एएस अंगीकृत करना)

	विशिष्टियां	टिप्पणी	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
	परिचालन से प्राप्त राजस्व			
(i)	आय पर ब्याज			
(ii)	लाभांश आय			
(iii)	फीस और कमीशन आय			
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध अभिलाभ			
(v)	परिशोधित लागत वर्ग के अधीन वित्तीय लिखतों की अभिस्वीकृति पर शुद्ध अभिलाभ			
(vi)	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)			
(I)	परिचालन से प्राप्त कुल राजस्व			

(II)	अन्य आय (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)			
(III)	कुल आय (I+II)			
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागत			
(ii)	फीस और कमीशन व्यय			
(iii)	उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध हानि			
(iv)	परिशोधित लागत श्रेणी के अधीन वित्तीय लिखतों की अभिस्वीकृति पर शुद्ध हानि			
(v)	वित्तीय लिखतों की क्षति			
(vi)	कर्मचारी फायदा व्यय			
(vii)	अवक्षयण, परिशोधन और क्षति			
(viii)	अन्य व्यय (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)			
(IV)	कुल व्यय (IV)			
(V)	अपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ / (हानि) (III- IV)			
(VI)	अपवादिक मदें			
(VII)	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V -VI)			
(VIII)	कर व्यय : (1) वर्तमान कर अस्थगित कर			
(IX)	अवधि के दौरान लाभ/(हानि)			
(X)	अन्य व्यापक आय			
	क (i) लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाली मदें (मदों और रकमों को विनिर्दिष्ट करें)			
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाली मदों से संबंधित आयकर			
	कुल योग (क)			
	ख (i) लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत होने वाली मदें (मदों और रकमों को विनिर्दिष्ट करें)			
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाली मदों से संबंधित आयकर			
	कुल योग (ख)			
	अन्य व्यापक आय (क + ख)			
(XI)	अवधि के दौरान कुल व्यापक आय			
(XII)	प्रति साधारण शेयर उपार्जन (सतत् प्रचालनों के लिए)			
	मूल (रु.)			
	मन्दित (रु.)			

(XIII)	प्रति साधारण शेयर आय (असतत् प्रचालनों के लिए)			
	मूल (रु.)			
	मन्दित (रु.)			
(XIV)	प्रति साधारण शेयर आय (सतत् एवं असतत् प्रचालनों के लिए)			
	मूल (रु.)			
	मन्दित (रु.)			

टिप्पण: वित्तीय विवरण के लिए संलग्न टिप्पण को देखें।

लाभ और हानि के विवरण को तैयार करने के लिए सामान्य निदेश

1. लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित होंगे :

- (क) अवधि के लिए लाभ अथवा हानि;
- (ख) अवधि के लिए अन्य व्यापक आय।

'कुल व्यापक आय' उपर्युक्त (क) तथा (ख) का योग है।

2. ब्याज आय :

विशिष्टियां	(चालू वर्ष)			(पूर्व वर्ष)		
	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	परिशोधित लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	परिशोधित लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	ब्याज आय
ऋण पर ब्याज						
विनिधान से प्राप्त आय ब्याज						
बैंक में निक्षेपों पर ब्याज						
अन्य आय ब्याज						

कुल						
-----	--	--	--	--	--	--

3. उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध अभिलाभ/(हानि)*

विशिष्टियां	(चालू वर्ष)	(पूर्व वर्ष)
(क) लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर शुद्ध अभिलाभ/(हानि)		
(i) व्यापारिक पोर्टफोलियो पर		
- विनिधान		
- व्युत्पन्न		
- अन्य		
(ii) लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामनिर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर		
(ख) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल शुद्ध अभिलाभ/(हानि) (ग)		
उचित मूल्य परिवर्तनों :		
-प्रापण		
-अप्रापण		
(ग) मिलान हेतु उचित मूल्य परिवर्तनों (घ) पर कुल शुद्ध अभिलाभ/(हानि)		

* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे भिन्न हैं जो उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उदभूत होते हैं।

4. अन्य आय (विनिर्दिष्ट की जाए)

विशिष्टियां	(चालू वर्ष)	(पूर्व वर्ष)
बचाव के अप्रभावी भागों पर शुद्ध अभिलाभ (हानि)		
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अस्वीकरण पर शुद्ध अभिलाभ/(हानि)		
विदेशी मुद्रा संव्यवहार और अंतरण शुद्ध अभिलाभ अथवा हानि (वित्तीय लागत से विभन्न विचारणा) (विनिर्दिष्ट किए जाएं)		
अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाएं) *		
कुल		

* 'अन्य' उपशीर्ष के अधीन आने वाली कोई मद जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो उसे पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाए।

5. वित्तीय लागत

विशिष्टियां	(चालू वर्ष)	(पूर्व वर्ष)
लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर

निक्षेपों पर व्याज				
उधार लेने पर व्याज				
ऋण प्रतिभूतियों पर व्याज				
गौण देयताओं पर व्याज				
अन्य व्याज व्यय				
कुल				

कर्मचारी फायदा व्यय

विशिष्टियां	(चालू वर्ष)	(पूर्व वर्ष)
बोनस सहित वेतन और मजदूरी		
भविष्य एवं अन्य निधि में योगदान		
कर्मचारी कल्याण व्यय		
अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)		
कुल		

6. वित्तीय लिखतों पर हानि

विशिष्टियां	(चालू वर्ष)	(पूर्व वर्ष)
	ओसीआई द्वारा परिशोधित मूल्य पर मापी गई वित्तीय लिखतों पर	ओसीआई द्वारा परिशोधित मूल्य पर मापी गई वित्तीय लिखतों पर
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय लिखतों पर	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय लिखतों पर
	मापी गई वित्तीय लिखतों पर	मापी गई वित्तीय लिखतों पर
ऋण		
विनिधान		
अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने हैं)		
कुल		

7. अन्य व्यय (विनिर्दिष्ट किए जाने हैं)

विशिष्टियां	(चालू वर्ष)	(पूर्व वर्ष)
किराया, दर और कर		
बिजली और अन्य सुविधाएं		
मरम्मत और रख-रखाव		
संचार लागत		
मुद्रण और स्टेशनरी		
विज्ञापन और प्रचार		
निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय		
लेखा परीक्षक की फीस और व्यय		
विधिक और व्यावसायिक प्रभार		

बीमा		
अन्य व्यय		
कुल		

8. अन्य व्यापक खर्च वर्गीकृत किए जाएंगे -

(क) वे मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे :

- (iv) पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में आए परिवर्तन;
 - (v) परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनर्मापन;
 - (vi) अन्य व्यापक आय द्वारा साधारण शेयर लिखत;
 - (vii) लाभ अथवा हानि द्वारा उचित मूल्य पर नामनिर्दिष्ट वित्तीय देयताओं की स्वयं की प्रत्यय जोखिम से संबंधित उचित मूल्य पर परिवर्तन;
 - (viii) सहयुक्त और संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय का शेयर, उस विस्तार तक जो लाभ अथवा हानि में वर्गीकृत न किए जाएं; और
 - (ix) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- (ख) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएंगी;

- (i) विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण को अंतरित करने में आने वाले परिवर्तनों को विनिमय करना;
 - (ii) अन्य व्यापक आय द्वारा ऋण लिखतें;
 - (iii) नकद प्रवाह के क्षेत्र में लिखतों के बचाव पर अभिलाभ और हानि का प्रभावी अंश;
 - (iv) सहयुक्त और संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय का शेयर, उस विस्तार तक जो लाभ अथवा हानि में वर्गीकृत न किए जाएं; और
 - (v) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- 9. अतिरिक्त जानकारी :** संस्था टिप्पणों के रूप में निम्नलिखित मदों पर संकलित व्यय और आय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रकट करेगी:

- (i) अवमूल्यन, परिशोधन व हास
- (ii) (क) लेखा परीक्षक के रूप में, (ख) कराधान मामलों के लिए, (ग) कंपनी के विधि मामलों के लिए, (घ) अन्य सेवाओं के लिए, (ङ) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए लेखा परीक्षक को किया गया संदाय; और
- (iii) अपवादिक प्रकृति की मदों के व्यौरे।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) के वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए साधारण अनुदेश

1. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 में यथा परिभाषित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और इस अनुसूची के अनुसार समय-समय पर संशोधित या कतिपय परिस्थितियों में ऐसे संशोधन जो अपेक्षित हों, के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अधीन अपना वित्तीय विवरण तैयार करेगा।

2. जहां भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) (सुसंगत इंड एस द्वारा उपबंधित किए गए चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के अनुसार आस्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करने के विकल्प के सिवाय) संस्थाओं पर यथा लागू भारतीय लेखा मानकों सहित समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या परिपत्रों के शीर्ष या उप-शीर्ष या वित्तीय विवरण के किसी भाग में अनुवृद्धि, संशोधन, प्रतिस्थापन और विलोपन सहित परिशोधन या प्रकटन में और परस्पर परिवर्तन अपेक्षित है, वहां उसे किया जाएगा और इस अनुसूची के अधीन अपेक्षाओं को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

3. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण अपेक्षाओं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट और भारतीय लेखा

मानकों में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण या प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त है न कि उसके प्रतिस्थापन में। भारतीय रिजर्व बैंक “लेखा टिप्पणों” के किन्हीं संघटकों के लिए अपेक्षाओं को विहित कर सकता है जो इस अनुसूची में प्रस्तुत विद्यमान जानकारी के अतिरिक्त होगा। भारतीय लेखा मानकों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकटीकरण को टिप्पणों में या अतिरिक्त विवरण या वित्तीय विवरणों के रूप में प्रकटित किए जाने के लिए अन्यथा अपेक्षित विवरण के रूप में दिया जाएगा।

4. (i) टिप्पणों में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत जानकारी के अतिरिक्त जानकारी होगी और जहां अपेक्षित होगा वहां प्रदान कराएगा-

(क) उन विवरणों में मान्यता प्राप्त मदों के व्यापक विवरणों या विपुलजनों; और

(ख) उन मदों के बारे में जानकारी जो उन विवरणों में मान्यता के लिए अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं।

(ii) तुलन-पत्र, साधारण शेयर में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण के समक्ष प्रत्येक मद का टिप्पणों में किसी भी संबंधित जानकारी के साथ मेल कराया जाएगा। टिप्पणों सहित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अत्यधिक जानकारी, जो वित्तीय विवरण के उपयोक्ताओं को सहयोग नहीं करेगा, प्रदान करने और अत्यधिक पुँजन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान न करने के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा।

5. वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने की मापन इकाई भारतीय रुपए में करोड़ या मिलियन में होगी। मापन की इकाई का निरन्तर और एकसमान रूप से वित्तीय विवरणों और लेखा टिप्पणों में उपयोग किया जाएगा।

6. वित्तीय विवरणों में सभी मदों के लिए तत्काल आने वाली रिपोर्टिंग अवधि के लिए तदनुरूपी रकमें (तुलनात्मक) उपलब्ध होंगी, जिन्हें निगमन के पश्चात् प्रथम वित्तीय विवरणों के मामलों के सिवाय टिप्पणों सहित वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाएगा।

7. वित्तीय विवरण सभी तात्त्विक मदों, अर्थात् मदों को प्रकट करेगा यदि वे अलग-अलग या सामूहिक रूप से उन आर्थिक विनिश्चयों को प्रभावित करें, जिससे उपयोक्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं। तात्त्विकता मद के आकार या प्रकृति पर या दोनों के योग पर निर्भर करता है जिनके बारे में किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में निर्णय लिया जाता है।

8. इस अनुसूची के प्रयोजन से यहां उपयोग में लाए गए मद के अर्थ वही होंगे जो उन्हें भारतीय लेखा मानकों ने दिए हैं।

9. इस अनुसूची के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाली संस्था वित्तीय विवरणों को मदों के प्रस्तुतिकरण के अनुरूप या चलनिधिक बनाने के उद्देश्य से, यदि उपयुक्त हो, अनुसूची के भीतर मदों के अनुरूप परिवर्तित कर सकती है।

टिप्पण: यह अनुसूची वित्तीय विवरणों, अर्थात् तुलन-पत्र उक्त अवधि के लिए साधारण शेयर में परिवर्तन का विवरण, उक्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण ('लाभ और हानि का विवरण' पद से तात्पर्य 'लाभ और हानि खाते') और टिप्पणों के प्रकटन के लिए न्यूनतम अपेक्षा उपवर्णित करती है। नगदी प्रवाह विवरण, जहां कहीं आवश्यक होगा, सुसंगत भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

समरूप मद, उप-समरूप मद और उप-योग को वित्तीय विवरणों के लिए किसी योग या प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जब ऐसी प्रस्तुति संस्था की वित्तीय स्थिति या सुसंगत विनियामक द्वारा यथा विनिर्धारित कार्यनिष्पादन को समझने के लिए सुसंगत होगी या जब सुसंगत कानूनों में संशोधनों के अनुपालन के लिए या भारतीय लेखा संस्थानों के अधीन अपेक्षित होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए साधारण अनुदेश

(1) जहां संस्था समेकित वित्तीय विवरण, अर्थात् समेकित तुलन-पत्र, साधारण शेयर में परिवर्तन का समेकित विवरण और लाभ और हानि का समेकित विवरण तैयार करती है, संस्था यथोचित परिवर्तनों के साथ तुलन-पत्र, साधारण शेयर में परिवर्तन का विवरण और

लाभ हानि का विवरण तैयार करने में संस्थान पर यथा लागू इस अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी। तथापि, जहां समेकित वित्तीय विवरण में संस्था से जुड़े और संस्था से इतर तत्व रखती है, प्रस्तुतिकरण के लिए मिश्रित आधार समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अपनाया जा सकता है जहां दोनों प्रकार के प्रचालन महत्वपूर्ण हों। इसके अतिरिक्त, समेकित वित्तीय विवरण अपेक्षानुसार कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अधीन निम्नलिखित के साथ अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों में अनुप्रयोज्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सूचना प्रकट करेगा, अर्थात्:-

- (i) 'गैर-नियंत्रक हितों' और लाभ और हानि के विवरण में 'मूल संस्था के मालिक' पर आरोप्य लाभ और हानि को उस अवधि के लिए आबंटन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 'गैर-नियंत्रक हितों' और 'मूल संस्था के मालिक' पर आरोप्य अवधि के लिए 'कुल व्यापक आय' उस अवधि के लिए आबंटन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत की जाएगी। 'कुल व्यापक आय' के लिए पूर्वोक्त प्रकटीकरण भी साधारण शेयर में परिवर्तन के विवरण में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानकों में अपेक्षित प्रकटीकरण के अतिरिक्त पूर्वोक्त प्रकटीकरण 'अन्य व्यापक आय' के संबंध में किया जाएगा।
- (ii) तुलन-पत्र में और साधारण शेयर के भीतर साधारण शेयर में परिवर्तन के विवरण में 'गैर-नियंत्रक हितों' को 'मूल संस्था के मालिक' के साधारण शेयर से पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) साधारण शेयर पद्धति में उपयोग किया गया विनिधान।

(2) समेकित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त विवरण के माध्यम से निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा:

समूह में इकाई का नाम	शुद्ध आस्तियां, अर्थात् कुल देयताओं को छोड़कर कुल आस्तियां		लाभ और हानि का शेयर		अन्य व्यापक आय में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित शुद्ध आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	रकम	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	रकम	कुल व्यापक आय के % के रूप में	रकम
मूल समनुषंगी भारतीय								
1.								
2.								
·								
विदेशी								
1.								
2.								
·								
सभी समनुषंगियों, सहयुक्तों में गैर-नियंत्रक हित (साधारण शेयर पद्धति के अनुसार विनिधान)								
भारतीय								
1.								
2.								

विदेशी								
1.								
2.								
संयुक्त उद्यम (साधारण शेयर पद्धति के अनुसार) भारतीय								
1.								
2.								
विदेशी								
1.								
2.								
कुल								

(3) सभी समनुषंगियों, सहयुक्तों तथा संयुक्त उद्यमों (भारतीय अथवा विदेशी) को समेकित वित्तीय विवरणों के अधीन कवर किया जाएगा।

(4) इकाई, समनुषंगियों अथवा सहयुक्तों अथवा संयुक्त उद्यमों की सूची, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण में समेकित नहीं किया गया है, को समेकित न किए जाने के कारणों के साथ प्रकट करेगी।

[फा. सं. 15/10/2021-आईएफ-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 51(असाधारण), 28 जनवरी, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), 29 जनवरी, 2022 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Bank for Financing Infrastructure and Development General Rules, 2022, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Bank for Financing Infrastructure and Development General (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Bank for Financing Infrastructure and Development General Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

“4 A. Other terms and conditions of service of the whole-time directors—The terms and conditions of service including leave, code of conduct, ethics and disciplinary matters of the Managing Director and Deputy Managing Directors may be determined by the Board on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee based on market practice and requirements of the Institution, keeping in view the terms and conditions of other employees of the Institution and to enhance performance and promote integrity.”.

3. In the said rules, after rule 8, the following rule shall be inserted, namely:—

“9. Form and manner of balance sheet and accounts.—The balance sheet as at 31st March of each year and the profit and loss account for the year ending on 31st March of each year shall be prepared in Form 2 and Form 3 respectively, as set out in the Schedule to these rules.”.

4. In the Schedule to the said rules, after Form 1, the following forms shall be inserted, namely:—

“Form 2

[See rule 9]

Balance Sheet as at 31st March, __
(While adopting AS GAAP for preparation of accounts)

	Schedules	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
Assets			
Financial Assets			
1. Cash in hand and balances with the Reserve Bank of India	I		
2. Balances with banks	II		
3. Derivative Financial Instruments	III		
4. Loans	IV		
5. Investments	V		
6. Other financial assets (to be specified)	VI		
Non-Financial Assets			
1. Property, plant and equipment	VII		
2. Goodwill			
3. Other intangible assets	VIII		
4. Current tax assets			
5. Deferred tax assets			
6. Other non-financial assets (to be specified)	IX		
Total assets			
Equity and liabilities			
Financial Liabilities			
1. Deposits	X		
2. Borrowings	XI		
3. Debt Securities	XII		
4. Derivatives Financial Instruments			
5. Other financial liabilities (to be specified)	XIII		
Non-Financial Liabilities			
1. Current tax liabilities			
2. Deferred tax liabilities			
3. Other non-financial liabilities (including	XIV		

provisions) to be specified)			
Total liabilities			
Shareholders' fund			
(a) Share capital	XV		
(b) Reserves and surplus	XVI		
Total			
Total equity and liabilities			
Contingent liabilities	XVII		

Schedule I: Cash in hand and balances with the Reserve Bank of India		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Cash in hand		
2. Balances with the Reserve Bank of India		
Total (1+2)		

Schedule II: Balances with banks		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. In India		
(a) in current accounts		
(b) in other deposit accounts		
2. Outside India		
(a) in current accounts		
(b) in other deposit accounts		
Total (1+2)		

Schedule III: Derivative financial Instruments						
1. Explain use of derivatives.						
2. Cross-reference to Financial Risks section for management of risks arising from derivatives.						
Part I	(Current Year)			(Previous Year)		
	Notional amounts	Fair Value - Assets	Fair Value - Liabilities	Notional amounts	Fair Value - Assets	Fair Value - Liabilities
(i) Currency derivatives:						
-Spot and forwards						
-Currency Futures						
-Currency swaps						
-Options purchased						
-Options sold (written)						
-Others						
Subtotal (i)						
(ii) Interest rate derivatives						
-Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps						
-Options purchased						
-Options sold (written)						
-Futures						
-Others						
Subtotal(ii)						

(iii)Credit derivatives						
(iv)Equity linked derivatives						
(v)Other derivatives (Please specify)						
Total Derivative						
Financial Instruments (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)						
Part II						
Included in above (Part I) are derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:						
(i)Fair value hedging:						
- Currency derivatives						
- Interest rate derivatives						
- Credit derivatives						
- Equity linked derivatives						
- Others						
Subtotal (i)						
(ii)Cash flow hedging:						
- Currency derivatives						
- Interest rate derivatives						
- Credit derivatives						
- Equity linked derivatives						
- Others						
Subtotal (ii)						
(iii)Net investment hedging:						
(iv)Undesignated Derivatives						
Total Derivative Financial Instruments (i)+ (ii)+(iii)+(iv)						

With respect to hedges and hedge accounting, Institution may provide a description, in accordance with the requirements of applicable Accounting Standards and related Guidance Notes, of how derivatives are used for hedging, explain types of hedges recognised for accounting purposes and their usage/application by the entity.

Schedule IV - Loans [Net of specific provisions i.e. provisions for Non-Performing Assets]		
	As at 31.03. (Current Year)	As at 31.03._____ (Previous Year)
1. (a) Bill purchased and bills discounted		
(b) Loans repayable on demand		
(c) Term loans		
(d) Others (to be specified)		
Subtotal (1)		
2. (a) Secured by tangible assets		
(b) Secured by intangible assets		
(c) Secured by bank/government guarantee		
(d) Unsecured		
Subtotal (2)		
3. (a) Loans in India		
(b) Loans outside India		
Subtotal (3)		
Subtotal (1), (2) and (3) should tally with each other.		

Schedule V: Investments [net of provisions for depreciation and non-performing investments]		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Investment in India		
(a) Securities of Central and State Governments		
(b) Shares of banks and financial institutions		
(c) Bonds, debentures and other securities of banks and financial institutions		
(d) Units of Mutual Funds and Other units		
(e) Shares, bonds, debentures, and other securities of other entities		
(f) Investment in subsidiaries, associate, and joint ventures		
(g) Others (to be specified)		
Subtotal (1)		
2. Investment outside India		
(a) Government securities		
(b) Subsidiaries, associates and joint ventures		
(c) Others (to be specified)		
Subtotal (2)		
Total (1+2)		

Schedule VI – Other financial assets		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Receivables		
2. Receivables in respect of insurance claims		
3. Others (to be specified)		
Total		

Schedule VII - Property, plant and equipment[Net of Depreciation]		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Properties		
(a) At cost as on 31st March of the preceding year		
(b) Additions during the year		
(c) Deductions during the year		
(d) Depreciation to date		
2. Plant and equipment		
(a) At cost as on 31st March of the preceding year		
(b) Additions during the year		
(c) Deductions during the year		
(d) Depreciation to date		
3. Other fixed assets		
(a) At cost as on 31st March of the preceding year		

(b) Additions during the year		
(c) Deductions during the year		
(d) Depreciation to date		
Total (1+2+3)		

Schedule VIII – Other Intangible Assets		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Others Intangible Assets (to be specified)		
(a) At cost as on 31st March of the preceding year		
(b) Additions during the year		
(c) Deductions during the year		
(d) Depreciation to date		
Total		

Schedule IX – Other non-financial assets		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Advances given for procurement of Property, Plant and Equipment		
2. Prepaid expenses		
3. Others (to be specified)		
Total		

Schedule X: Deposits		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. From Banks		
2. From Others (to be specified)		
Total (1+2+3)		

Schedule XI- Borrowings		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India		
(b) From Government of India		
(c) Term Loans from Banks		
(d) Term Money Borrowings		
(e) Others (to be specified)		
Subtotal (1)		
2. Borrowings outside India		
(a) Multilateral/Bilateral Organisations (to be specified)		
(b) Other Development Financial Institutions (to be specified)		
Subtotal (2)		
Total (1 + 2)		

Schedule XII – Debt securities*		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Debt securities issued in India		
(a) Bonds and debentures		
(b) Commercial paper		
(c) Certificate of deposits		
(d) Others (to be specified)		
Subtotal (1)		
2. Debt securities issued outside India		
(a) Bonds and debentures		
(b) Others (to be specified)		
Subtotal (2)		
Total (1 + 2)		

* Debt securities subscribed by the Government of India shall be presented separately under this schedule.

Schedule XIII- Other financial liabilities		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Interest accrued		
2. Unpaid Dividend		
3. Unpaid matured debentures and interest accrued thereon		
4. Others (to be specified)		
Total		

Schedule XIV – Other non-financial liabilities (including provisions)		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Revenue received in advance		
2. Provisions		
3. Others (to be specified)		
Total		

Schedule XV – Share capital		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Authorized Capital		
(a) Equity Share Capital		
2. Issued, Subscribed and Paid-up Capital		
(a) Equity Share Capital		
Total share capital		

Schedule XVI – Reserves and Surplus		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Reserve fund (Created under Section 24 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021)		
(a) Opening Balance		
(b) Additions during the year		
(c) Utilisations during the year		

(d) Closing Balance		
2. Capital Reserve		
(a) Opening Balance		
(b) Additions during the year		
(c) Utilisations during the year		
(d) Closing Balance		
3. Investment Reserve		
(a) Opening Balance		
(b) Additions during the year		
(c) Utilisations during the year		
(d) Closing Balance		
4. Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961		
(a) Opening Balance		
(b) Additions during the year		
(c) Utilisations during the year		
(d) Closing Balance		

Schedule XVI – Reserves and Surplus		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
5. Revaluation Reserves		
(a) Opening Balance		
(b) Additions during the year		
(c) Utilisations during the year		
(d) Closing Balance		
6. General Reserve		
(a) Opening Balance		
(b) Additions during the year		
(c) Utilisations during the year		
(d) Closing Balance		
7. Balance in Statement of Profit and Loss Account		
(a) Opening Balance		
(b) Additions during the year		
(c) Utilisations during the year		
(d) Closing Balance		
8. Other specific reserves (to be specified)		
(a) Opening Balance		
(b) Additions during the year		
(c) Utilisations during the year		
(d) Closing Balance		
Total Reserves and Surplus		

Schedule XVII - Contingent liabilities		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Claims against the institution not acknowledged as debts		
2. On account of guarantees / Letters of Credit		
3. On account of forward Contracts		
4. On account of underwriting commitments		
5. On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures		
6. Other items for which the institution is		

contingently liable (to be specified)		
Total		

Form 3

[See rule 9]

(While adopting AS GAAP for preparation of accounts)

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March,

	Schedules	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
Income			
Interest and discount	XVIII		
Fees and commission income			
Net gain/(loss) on sale of investments	XIX		
Other Income	XX		
Total income			
Expenditure			
Finance Cost	XXI		
Fees and commission expense			
Provisions on financial assets	XXII		
Employee benefits	XXIII		
Depreciation and impairment on property, plant and equipment			
Amortisation and impairment of intangible assets			
Other expenses	XXIV		
Total expenses			
Net profit/(loss) before taxes and exceptional items			
Exceptional items			
Net profit/(loss) before taxes			
Tax expenses			
(i) Current tax			
(ii) Deferred tax			
Net Profit/(loss) after tax for the period			
Appropriations			
(a) Transfer to General Reserve			
(b) Transfer to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961			
(c) Transfer to Reserve Fund u/s 24 of NaBFID Act 2021			
(d) Others (to be specified)			
(e) Surplus in Profit and Loss account carried forward			
Earnings Per Share			
(a) Basic			
(b) Diluted			

Schedule XVIII - Interest and Discount		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Interest and discount income on loans and advances		
2. Interest and discount income on investments		
3. Interest on balances with and dues from banks		
4. Other interest income (to be specified)		
Total		

Schedule XIX: Net gain/(loss) on sale of investments		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Profit on sale of Investments Less: Loss on sale of investments		
Total		

Schedule XX – Other income		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Upfront and processing Fees		
2. Income earned by way of dividends on investments		
3. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries, associates and joint ventures		
4. Foreign exchange gains/(loss) (other than considered as finance costs)		
5. Other income (to be specified)		
Total		

Schedule XXI - Finance Costs		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Interest on deposits		
2. Interest on borrowings		
3. Interest on debt securities		
4. Other interest expenses (to be specified)		
Total		

Schedule XXII: Provision on financial assets		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Provision for non performing assets		
2. Provision for standard loans		
3. Provisions for diminution in value of long term investments		
4. Provisions / Reversals on other financial assets		
Total		

Schedule XXIII: Employee benefits		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Salaries and wages including bonus		
2. Contribution to Provident Fund and other funds		
3. Staff Welfare expenses		
4. Others (to be specified)		

Total		
--------------	--	--

Schedule XXIV: Other expenses		
	As at 31.03.____ (Current Year)	As at 31.03.____ (Previous Year)
1. Rent, Rates and Taxes		
2. Electricity and other utilities		
3. Printing and Stationery		
4. Communication cost		
5. Advertisement and publicity		
6. Directors' fees, allowances, and expenses		
7. Auditor's fees and expenses		
8. Legal and professional charges		
9. Repairs and maintenance		
10. Insurance		
11. Other Expenditure*		
Total		

* Any item under the subhead 'Other expenditure' which exceeds one per cent. of the total income to be presented separately.

Schedule XXIII: Significant accounting policies

Schedule XXIV: Notes to account

General instructions for preparation of balance sheet and profit and loss account:

- This Schedule sets out minimum requirements for disclosure on the face of (a) the Balance Sheet as at the end of the year, (b) Statement of Profit and Loss for the period and (c) Schedules (hereinafter referred to as 'financial statements' for purpose of this Schedule).
- Line items, sub-line items and subtotals shall be presented as an addition or substitution on the face of the financial statements when required for compliance with applicable laws, rules, regulation, accounting standards and applicable guidance notes issued from time to time.
- Where compliance with the requirements of the laws, rules, guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time or applicable accounting standards require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or deletion in the head/subhead or any changes inter se, in the financial statements, the same shall be made and the requirements of this Schedule shall stand modified accordingly.
- The presentation and disclosure requirements specified in 'Form 2' and 'Form 3' of this Schedule are in addition to and not in substitution of the disclosure or presentation requirements specified by Reserve Bank of India from time to time or specified in applicable accounting standards and applicable guidance notes issued from time to time. The Reserve Bank of India may prescribe requirements for any of the components of financial statements including the 'Notes to Accounts' which shall contain information in addition to that presented in 'Form 2' and 'Form 3'.
- 'Notes to Account' shall contain information in addition to that presented in the financial statements and shall provide where required (a) narrative descriptions or disaggregations of items recognised in those statements and (b) information about items that do not qualify for recognition in those statements.
- Each item on the face of the financial statements shall be cross-referenced to any related information in the 'Notes to Account'. In preparing the financial statements including the 'Notes to Accounts', a balance shall be maintained between providing excessive detail that may not assist users of financial statements and not providing important information as a result of too much aggregation.
- The unit of measurement of presenting financial statements shall be Indian Rupees in crores. The unit of measurement shall be used consistently and uniformly in the entire financial statements and Notes to Account.
- Financial statements shall disclose all 'material' items i.e. the items that could individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the item judged in the particular circumstances.
- For the purpose of this Schedule, the terms used herein shall have the same meanings assigned to them in Accounting Standards and applicable guidance notes issued from time to time.

General Instructions for the Preparation of Consolidated Financial Statements

- Where the Institution is required to prepare Consolidated Financial Statements, i.e., consolidated balance sheet and consolidated statement of profit and loss, the Institution shall mutatis mutandis follow the requirements of this

Schedule as applicable to the Institution in the preparation of balance sheet and statement of profit and loss. However, where the consolidated financial statements contains elements pertaining to Institution and other than Institution, mixed basis of presentation may be followed for consolidated financial statements where both kinds of operations are significant. In addition, the consolidated financial statements shall disclose the information as per the requirements specified in the applicable Accounting Standards including the following:

- (i) Profit or loss attributable to “minority interest” and to owners of the parent in the statement of profit and loss shall be presented as allocation for the period.
- (ii) “Minority interests” in the balance sheet within equity shall be presented separately from the equity of the owners of the parent.

2. In Consolidated Financial Statements, the following shall be disclosed by way of additional information:

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Parent Subsidiaries Indian				
1.				
2.				
• Foreign				
1.				
2.				
• Minority Interest in all subsidiaries				
Associates (Investment as per the equity method)				
1.				
2.				
• Foreign				
1.				
2.				
• Joint Ventures (as per proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
Indian				
1.				
2.				
• Foreign				
1.				
2.				
• Total				

3. All subsidiaries, associates and joint ventures (whether Indian or foreign) will be covered under consolidated financial statements.

4. An entity shall disclose the list of subsidiaries or associates or joint ventures which have not been consolidated in the consolidated financial statements along with the reasons of not consolidating.

Form 2
[See rule 9]

Balance Sheet as at 31st March, __
(While adopting Ind AS for preparation of accounts)

(Rupees in.....)

	Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period	Figures as at the end of the previous reporting period
	(1)		(2)	(3)
	ASSETS			
(1)	Financial Assets			
(a)	Cash and cash equivalents			
(b)	Balance in banks other than (a) above			
(c)	Derivative financial instruments			
(d)	Receivables			
(e)	Loans			
(f)	Investments			
(g)	Other Financial assets (to be specified)			
(2)	Non-financial Assets			
(a)	Current tax assets (Net)			
(b)	Deferred tax Assets (Net)			
(c)	Property, Plant and Equipment			
(d)	Goodwill			
(e)	Other Intangible assets			
(f)	Other non-financial assets (to be specified)			
	Total Assets			
	LIABILITIES AND EQUITY			
	LIABILITIES			
(1)	Financial Liabilities			
(a)	Derivative financial instruments			
(b)	Payables			
(c)	Debt Securities			
(d)	Borrowings (Other than Debt Securities)			
(e)	Deposits			
(f)	Subordinated Liabilities			
(g)	Other financial liabilities (to be specified)			
2.	Non-Financial Liabilities			
(a)	Current tax liabilities (Net)			
(b)	Provisions			
(c)	Deferred tax liabilities (Net)			
(d)	Other non-financial liabilities (to be specified)			
3.	EQUITY			
(a)	Equity Share capital			
(b)	Other Equity			
	Total Liabilities and Equity			

See accompanying notes to the financial statements

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Statement of Changes in Equity for the period ended

a. Equity Share Capital

(1) Current reporting period

Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period

(2) Previous reporting period

the reporting period															
Changes in accounting policy/prior period Errors															
Restated balance at the beginning of the reporting period															
Total Comprehensive Income for the year															
Dividends															
Transfer to retained earnings															
Any other change (to be specified)															
Balance at the end of the reporting period															

Note: Remeasurement of defined benefit plans and fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss shall be recognised as a part of retained earnings with separate disclosure of such items along with the relevant amounts in the Notes or shall be shown as a separate column under Reserve and Surplus.

Notes

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF BALANCE SHEET

The *National Bank for Financing Infrastructure and Development* (Institution) shall disclose the following in the notes to accounts:

(A) Cash and cash equivalents: Cash and cash equivalents shall be classified as:

- (i) Cash on hand
- (ii) Balances with the Reserve Bank of India (of the nature of cash and cash equivalents)
- (iii) Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents); and
- (iv) Others (specify nature).

Cash and Bank balances: The following disclosures with regard to cash and bank balances shall be made:

- (i) Earmarked balances with banks (for example, for unpaid dividend) shall be separately stated.
- (ii) Balances with banks to the extent held as margin money or security against the borrowings, guarantees, other commitments shall be disclosed separately.
- (iii) Repatriation restrictions, if any, in respect of cash and bank balances shall be separately stated.
- (iv) Balances with banks in current accounts and in other deposits in India and Outside India shall be disclosed separately.

(B) Derivative financial Instruments

1. Explain use of derivatives.
2. Cross-reference to *Financial Risks* section for management of risks arising from derivatives.

Part I	(Current Year)			(Previous Year)		
	Notional amounts	Fair Value Assets	Fair Value Liabilities	Notional amounts	Fair Value Assets	Fair Value Liabilities
(i)Currency derivatives:						
-Spot and forwards						
-Currency Futures						
-Currency swaps						
-Options						
Purchased						
-Options sold (written)						
-Others						
Subtotal (i)						
(ii)Interest rate derivatives						
-Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps						
-Options						
Purchased						
-Options sold (written)						
-Futures						
-Others						
Subtotal(ii)						
(iii)Credit derivatives						
(iv)Equity linked derivatives						
(v)Other derivatives (Please specify)						
Total Derivative Financial Instruments (i)+(ii)+(iii)+(iv)+ (v)						
Part II						
Included in above (Part I) are						
derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:						
(i)Fair value hedging:						
- Currency derivatives						
- Interest rate derivatives						
- Credit derivatives						
- Equity linked derivatives						
- Others						
Subtotal (i)						
(ii)Cash flow hedging:						
- Currency derivatives						
- Interest rate derivatives						
- Credit						

With respect to hedges and hedge accounting, Institution may provide a description in accordance with the requirements of Indian Accounting Standards, of how derivatives are used for hedging, explain types of hedges recognised for accounting purposes and their usage/application by the entity.

- (i) Receivables shall be sub-classified as:
 - (a) Receivables considered good - Secured;
 - (b) Receivables considered good - Unsecured;
 - (c) Receivables which have significant increase in Credit Risk; and
 - (d) Receivables - credit impaired

(iii) Debts due by directors or other officers of the Institution or any of them either severally or jointly with any other person or debts due by firms including limited liability partnerships (LLPs), private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

[illegible]

[illegible]

(E) Investments

[illegible]

Total (B)														
Total (A) to tally with (B)														
Less:														
Allowance for Impairment loss (C)														
Total – NetD= (A)-(C)														

* Other basis of measurement such as cost may be explained as a footnote.

(F) Property, Plant and Equipment

(i) Classification shall be given as:

- (a) Land
- (b) Buildings
- (c) Plant and Equipment
- (d) Furniture and Fixtures
- (e) Vehicles
- (f) Office equipment
- (g) Others (specify nature)

(ii) Assets under lease shall be separately specified under each class of asset.

(iii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.

(G) Goodwill

A reconciliation of the gross and net carrying amount of goodwill at the beginning and end of the reporting period showing additions, impairments, disposals and other adjustments.

(H) Other Intangible assets

(i) Classification shall be given as:

- (a) Brands or trademarks
- (b) Computer software
- (c) Others (specify nature)

(ii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related amortization and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.

(I) Debt Securities

	(Current Year)				(Previous Year)			
	At Amortised Cost	At Fair Value Through profit or loss	Designated at fair value through profit or loss	Total	At Amortised Cost	At Fair Value Through profit or loss	Designated at fair value through profit or loss	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5)+(6)+(7)
Liability component of compound financial instruments								
Others (Bonds/ Debenture/ Commercial Paper/								

Certificate of Deposit etc.)								
Total (A)								
Debt securities in India								
Debt securities outside India								
Total (B) to tally with (A)								

(i) bonds or debentures (along with the rate of interest, and particulars of redemption or conversion, as the case may be) shall be stated in ascending order of maturity or conversion, starting from earliest redemption or conversion date, as the case may be. Where bonds/debentures are redeemable by installments, the date of maturity for this purpose must be reckoned as the date on which the first installment becomes due;

(ii) particulars of any redeemed bonds or debentures which the Institution has power to reissue shall be disclosed.

(J) Borrowings (Other than Debt Securities)

	(Current Year)				(Previous Year)			
	At Amortised Cost	At fair value Through profit or loss	Designated at fair value through profit or loss	Total	At Amortised Cost	At fair value Through profit or loss	Designated at fair value through profit or loss	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
(a) Term loans								
(i) from banks								
(ii) from other parties								
(b) Liability component of compound financial instruments								
(c) Loans repayable on demand								
(i) from banks								
(ii) from other parties								
(d) Other loans (specify nature)								
Total (A)								
Borrowings in India								
-From RBI								
-From Government of India								
-From Others								
Borrowings outside India								
-From Multilateral/Bilateral Organisations (to be specified)								
-From Other Development Financial Institutions (to be specified)								
Total (B) to tally with (A)								

(i) Borrowings shall further be sub-classified as secured and unsecured. Nature of security shall be specified separately in each case.

(ii) Where borrowings have been guaranteed by directors or others, the aggregate amount of such borrowings under each head shall be disclosed;

(iii) terms of repayment of term loans and other loans shall be stated; and

(iv) period and amount of default as on the balance sheet date in repayment of borrowings and interest shall be specified separately in each case.

(K) Deposits

	(Current Year)				(Previous Year)			
	At Amortised Cost	At fair value through profit or loss	Designated at fair value through profit or loss	Total	At Amortised Cost	At fair value through profit or loss	Designated at fair value through profit or loss	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
Deposits								
(i) From Banks								
(ii) From Others (to be specified)								
Total								

(L) Subordinated Liabilities

	(Current Year)				(Previous Year)			
	At Amortised Cost	At fair value through profit or loss	Designated at fair value through profit or loss	Total	At Amortised Cost	At fair value through profit or loss	Designated at fair value through profit or loss	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
Perpetual Debt Instruments to the extent that do not qualify as equity								
Others (specifying the nature and type of instrument issued)								
Total (A)								
Subordinated Liabilities in India								
Subordinated Liabilities outside India								
Total(B) to tally with (A)								

(M) Other Financial Liabilities (to be specified): **Other Financial liabilities shall be classified as-**

- Interest accrued;
- Unpaid dividends ;
- Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon;
- Unpaid matured term deposits and interest accrued thereon;
- Unpaid matured debentures and interest accrued thereon;
- Margin money (to be specified);and
- Others (specify nature)

(N) **Provisions:** The amounts shall be classified as-

- (a) Provision for employee benefits; and
- (b) Others (specify nature)

(O) Other Non-financial liabilities (to be specified):

- (a) Revenue received in advance;
- (b) Other advances (Specify nature); and
- (c) Others (specify nature).

(P) Equity Share Capital : For each class of equity share capital:

- (a) the number and amount of shares authorised;
- (b) the number of shares issued, subscribed and fully paid, and subscribed but not fully paid;
- (c) par value per share;
- (d) a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the period;
- (e) the rights, preferences and restrictions attaching to each class of shares including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital;
- (f) shares in the Institution held by Central Government, multilateral institution, sovereign wealth funds, pension funds, insurers, financial institutions, banks, and any other institution as may be specified;
- (g) shares reserved for issue under options and contracts/commitments for the sale of shares or disinvestment, including the terms and amounts;
- (h) For the period of five years immediately preceding the date at which the Balance Sheet is prepared:
 - Aggregate number and class of shares bought back;
- (i) terms of any securities convertible into equity shares issued along with the earliest date of conversion in descending order starting from the farthest such date;
- (j) The Institution shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate its objectives, policies and processes for managing capital.

(Q) Other Equity

- (i) Other Reserves' shall be classified in the notes as:
 - (a) Capital Redemption Reserve;
 - (b) Debenture Redemption Reserve;
 - (c) Statutory Reserves; and
 - (d) Others – (specify the nature and purpose of each reserve and the amount in respect thereof); (Additions and deductions since last balance sheet to be shown under each of the specified heads)
- (ii) Retained Earnings represents surplus i.e. balance of the relevant column in the Statement of Changes in Equity;
- (iii) A reserve specifically represented by earmarked investments shall disclose the fact that it is so represented;
- (iv) Debit balance of Statement of Profit and Loss shall be shown as a negative figure under the head 'retained earnings'. Similarly, the balance of 'Other Equity', after adjusting negative balance of retained earnings, if any, shall be shown under the head 'Other Equity' even if the resulting figure is in the negative;
- (v) Under the sub-head 'Other Equity', disclosure shall be made for the nature and amount of each item; and
- (vi) Under the sub-head 'Other Equity', disclosure shall be made for conditions or restrictions for distribution attached to statutory reserves.

(R) Contingent Liabilities and commitments (to the extent not provided for)

- (i) Contingent Liabilities shall be classified as:
 - (a) Claims against the institution not acknowledged as debt;
 - (b) Guarantees excluding financial guarantees/letters of credit; and
 - (c) Other money for which the Institution is contingently liable
- (ii) Commitments shall be classified as:
 - (a) Uncalled liability on shares and other investments partly paid;
 - (b) Underwriting Commitments;

(c) Other commitments (specify nature).

(S) The amount of dividends proposed to be distributed to equity shareholders for the period and the related amount per share shall be disclosed separately.

(T) Other Classification related General Instructions

1. When the Institution applies an accounting policy retrospectively or makes a restatement of items in the financial statements or when it reclassifies items in its financial statements, in pursuance of requirements of Ind AS, the Institution shall attach to the Balance Sheet, a “Balance Sheet” as at the beginning of the earliest comparative period presented.

2. Preference shares including premium received on issue, shall be classified and presented as ‘Equity’ or ‘Liability’ in accordance with the requirements of the relevant Indian Accounting Standards. Accordingly, the disclosure and presentation requirements in this regard applicable to the relevant class of equity or liability shall be applicable *mutatis mutandis* to the preference shares. For instance, plain vanilla redeemable preference shares shall be classified and presented under ‘liabilities’ as ‘borrowings’ or ‘subordinated liability’ and the disclosure requirements in this regard applicable to such borrowings shall be applicable *mutatis mutandis* to redeemable preference shares.

3. Compound financial instruments such as convertible debentures, where split into equity and liability components, as per the requirements of the relevant Indian Accounting Standards, shall be classified and presented under the relevant heads in “Liabilities and Equity”.

Form 3

[See rule 9]

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, _____
(While adopting Ind AS for preparation of accounts)

	Particulars	Note	Figures for the current reporting period	Figures for the previous reporting period
	Revenue from operations			
(i)	Interest Income			
(ii)	Dividend Income			
(iii)	Fees and commission Income			
(iv)	Net gain on fair value changes			
(v)	Net gain on derecognition of financial instruments under amortised cost category			
(vi)	Others (to be specified)			
(I)	Total Revenue from operations			
(II)	Other Income (to be specified)			
(III)	Total Income (I+II)			
	Expenses			
(i)	Finance Costs			
(ii)	Fees and commission expense			
(iii)	Net loss on fair value changes			
(iv)	Net loss on derecognition of financial instruments under amortised cost category			
(v)	Impairment on financial instruments			
(vi)	Employee Benefits Expenses			
(vii)	Depreciation, amortisation and impairment			
(viii)	Others expenses (to be specified)			
(IV)	Total Expenses (IV)			
(V)	Profit / (loss) before exceptional items and tax (III-IV)			

(VI)	Exceptional items			
(VII)	Profit/(loss) before tax (V -VI)			
(VIII)	Tax Expense: (2) Current Tax Deferred Tax			
(IX)	Profit/(loss) for the period			
(X)	Other Comprehensive Income			
	A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)			
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
	Subtotal (A)			
	B (i) Items that will be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)			
	(ii) Income tax relating to items that will bereclassified to profit or loss			
	Subtotal (B)			
	Other Comprehensive Income (A + B)			
(XI)	Total Comprehensive Income for the period			
(XII)	Earnings per equity share (for continuing operations)			
	Basic (Rs.)			
	Diluted (Rs.)			
(XIII)	Earnings per equity share (for discontinued operations)			
	Basic (Rs.)			
	Diluted (Rs.)			
(XIV)	Earnings per equity share (for continuing and discontinued operations)			
	Basic (Rs.)			
	Diluted (Rs.)			

Notes: See accompanying notes to the financial statements.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

1. The Statement of Profit and Loss shall include:

- (A) Profit or loss for the period;
- (B) Other Comprehensive Income for the period.

The sum of (A) and (B) above is 'Total Comprehensive Income'.

2. Interest Income:

Particulars	(Current Year)			(Previous Year)		
	On Financial Assets measured at fair value through OCI	On Financial Assets measured at Amortised Cost	Interest Income on Financial Assets classified at fair value through profit or loss	On Financial Assets measured at fair value through OCI	On Financial Assets measured at Amortised Cost	Interest Income on Financial Assets classified at fair value through profit or loss
Interest on Loans						
Interest income from investments						
Interest on deposits with Banks						
Other interest Income						
Total						

3. Net gain/ (loss) on fair value changes*

Particulars	(Current Year)	(Previous Year)
(A) Net gain/ (loss) on financial instruments at fair value through profit or loss		
(i) On trading portfolio		
- Investments		
- Derivatives		
- Others		
(ii) On financial instruments designated at fair value through profit or loss		
(B) Others (to be specified)		
Total Net gain/(loss) on fair value changes (C)		
Fair Value changes:		
-Realised		
-Unrealised		
Total Net gain/(loss) on fair value changes(D) to tally with (C)		

*Fair value changes in this schedule are other than those arising on account of accrued interest income/expense.

4. Other Income (to be specified)

Particulars	(Current Year)	(Previous Year)
Net gain/(loss) on ineffective portion of hedges		
Net gain/(loss) on derecognition of property, plant and equipment		
Net gain or loss on foreign currency transaction and translation (other than considered as finance cost) (to be specified)		
Others (to be specified) *		
Total		

* Any item under the subhead 'Others' which exceeds one per cent. of the total income to be presented separately.

5. Finance Costs

Particulars	(Current Year)		(Previous Year)	
	On Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	On Financial liabilities measured at Amortised Cost	On Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	On Financial liabilities measured at Amortised Cost
Interest on deposits				
Interest on borrowings				
Interest on debt securities				
Interest on subordinated liabilities				
Other interest expense				
Total				

Employee Benefits Expenses

Particulars	(Current Year)	(Previous Year)
Salaries and wages including bonus		
Contribution to provident and other funds		
Staff welfare expenses		
Others (to be specified)		
Total		

6. Impairment on financial instruments

Particulars	(Current Year)		(Previous Year)	
	On Financial instruments measured at fair value through OCI	On Financial instruments measured at Amortised Cost	On Financial instruments measured at fair value through OCI	On Financial instruments measured at Amortised Cost
Loans				
Investments				
Others (to be specified)				
Total				

7. Other expenses (to be specified)

Particulars	(Current Year)	(Previous Year)
Rent, rates and taxes		
Electricity and other utilities		
Repairs and maintenance		
Communication Costs		
Printing and stationery		
Advertisement and publicity		
Director's fees, allowances and expenses		
Auditor's fees and expenses		
Legal and Professional charges		
Insurance		
Other expenditure		
Total		

8. Other Comprehensive Income shall be classified into-

(A) Items that will not be reclassified to profit or loss:

(i) Changes in revaluation surplus;

- (ii) Remeasurements of the defined benefit plans;
- (iii) Equity Instruments through Other Comprehensive Income;
- (iv) Fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss;
- (v) Share of Other Comprehensive Income in Associates and Joint Ventures, to the extent not to be classified into profit or loss; and
- (vi) Others (specify nature).

(B) Items that will be reclassified to profit or loss;

- (i) Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation;
- (ii) Debt Instruments through Other Comprehensive Income;
- (iii) The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge;
- (iv) Share of Other Comprehensive Income in Associates and Joint Ventures, to the extent to be classified into profit or loss; and
- (v) Others (specify nature).

9. Additional Information: The *Institution* shall disclose by way of notes, additional information regarding aggregate expenditure and income on the following items:

- (i) Depreciation, amortisation and impairment
- (ii) payments to the auditor as (a) auditor, (b) for taxation matters, (c) for company law matters, (d) for other services, (e) for reimbursement of expenses; and
- (iii) details of items of exceptional nature.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT (INSTITUTION)

1. National Bank for Financing Infrastructure and Development (the Institution) as defined in the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021, shall prepare its financial statements under Indian Accounting Standards as notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and amended from time to time, in accordance with this Schedule or with such modification as may be required under certain circumstances.

2. Where compliance with the requirements of relevant Act, Regulations, Guidelines or Circulars issued by the Reserve Bank of India from time to time including Indian Accounting Standards (Ind AS) (except the option of presenting assets and liabilities in accordance with current, non-current classification as provided by relevant Ind AS) as applicable to the Institution require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or deletion in the head or sub-head or any changes inter se, in the financial statements or statements forming part thereof, the same shall be made and the requirements under this Schedule shall stand modified accordingly.

3. The presentation and disclosure requirements specified in this Schedule are in addition to and not in substitution of the disclosure or presentation requirements specified by the Reserve Bank of India and specified in the Indian Accounting Standards. The Reserve Bank of India may prescribe requirements for any of the components of financial statements including the "Notes to Accounts" which shall contain information in addition to that presented in this Schedule. Additional disclosures specified in the Indian Accounting Standards shall be made in the Notes or by way of additional statement or statements unless required to be disclosed on the face of the Financial Statements.

4. (i) Notes shall contain information in addition to that presented in the Financial Statements and shall provide where required-

- (a) narrative descriptions or disaggregations of items recognised in those statements; and
- (b) information about items that do not qualify for recognition in those statements.

(ii) Each item on the face of the Balance Sheet, Statement of Changes in Equity and Statement of Profit and Loss

shall be cross-referenced to any related information in the Notes. In preparing the Financial Statements including the Notes, a balance shall be maintained between providing excessive details that may not assist users of Financial Statements and not providing important information as a result of too much aggregation.

5. The unit of measurement of presenting financial statements shall be in Indian Rupees in crores or millions. The unit of measurement shall be used consistently and uniformly in the entire Financial Statements and Notes to Accounts.

6. Financial Statements shall contain the corresponding amounts (comparatives) for the immediately preceding reporting period for all items shown in the Financial Statements including Notes except in the case of first Financial Statements after incorporation.

7. Financial Statements shall disclose all 'material' items, i.e., the items if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size or nature of the item or a combination of both, to be judged in the particular circumstances.

8. For the purpose of this Schedule, the terms used herein shall have the same meanings assigned to them in Indian Accounting Standards.

9. The Institution preparing financial statements as per this Schedule may change the order of presentation of line items on the face of financial statements or order of line items within the schedules in order of liquidity, if appropriate.

Note: This Schedule sets out the minimum requirements for disclosure on the face of the Financial Statements, i.e., Balance Sheet, Statement of Changes in Equity for the period, the Statement of Profit and Loss for the period (The term 'Statement of Profit and Loss' has the same meaning as 'Profit and Loss Account') and Notes. Cash flow statement shall be prepared, where applicable, in accordance with the requirements of the relevant Indian Accounting Standard.

Line items, sub-line items and sub-totals shall be presented as an addition or substitution on the face of the Financial Statements when such presentation is relevant to an understanding of the Institution's financial position or performance as prescribed by the relevant regulator or when required for compliance with the amendments to the relevant statutes or under the Indian Accounting Standards.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(1) Where the Institution prepares Consolidated Financial Statements, i.e., consolidated balance sheet, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of profit and loss, the Institution shall mutatis mutandis follow the requirements of this Schedule as applicable to the Institution in the preparation of balance sheet, statement of changes in equity and statement of profit and loss. However, where the consolidated financial statements contains elements pertaining to Institution and other than Institution, mixed basis of presentation may be followed for consolidated financial statements where both kinds of operations are significant. In addition, the consolidated financial statements shall disclose the information as per the requirements specified in the applicable Indian Accounting Standards notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, including the following, namely:-

(i) Profit or loss attributable to 'non-controlling interest' and to 'owners of the parent' in the statement of profit and loss shall be presented as allocation for the period. Further, 'total comprehensive income' for the period attributable to 'non-controlling interest' and to 'owners of the parent' shall be presented in the statement of profit and loss as allocation for the period. The aforesaid disclosures for 'total comprehensive income' shall also be made in the statement of changes in equity. In addition to the disclosure requirements in the Indian Accounting Standards, the aforesaid disclosures shall also be made in respect of 'other comprehensive income'.

(ii) 'Non-controlling interests' in the Balance Sheet and in the Statement of Changes in Equity, within equity, shall be presented separately from the equity of the 'owners of the parent'.

(iii) Investments accounted for using the equity method.

(2) In Consolidated Financial Statements, the following shall be disclosed by way of additional information:

Name of the entity in the Group	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss		Share in other comprehensive income		Share in total comprehensive income	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount	As % of consolidated other comprehensive income	Amount	As % of total comprehensive income	Amount
Parent								
Subsidiaries								
Indian								
1.								
2.								
.								
Foreign								
1.								
2.								
.								
Non-controlling Interests in all subsidiaries								
Associates (Investment as per the equity method)								
Indian								
1.								
2.								
.								
Foreign								
1.								
2.								
.								
Joint Ventures(as per the equity method)								
Indian								
1.								
2.								
.								
Foreign								
1.								
2.								
.								
Total								

(3) All subsidiaries, associates and joint ventures (whether Indian or foreign) will be covered under consolidated financial statements.

(4) An entity shall disclose the list of subsidiaries or associates or joint ventures which have not been consolidated in

the consolidated financial statements along with the reasons of not consolidating.

[F. No. 15/10/2021-IF-I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules number G.S.R. 51(E), dated the 28th January, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 29th January, 2022.